प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 ....55/2023........ दिनांक........4/3/2023........
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं..................... 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम................आईपीसी...............................धाराऐं ....120बी.......................................

(3) अधिनियम..धाराऐं...

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार दिनांक :– 03.03.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 13.02.2023 समय :– 10.30 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....61........ समय................5:40 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 60 कि0मी0 बजानिब उत्तर दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं..
(ख) पता:– कार्यालय वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा।

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.............जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री देवकीनन्दन
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री भोजराज जाति कलाल
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 24 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– डाबरी कलां तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री नेमीचन्द जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी ग्राम बन्ध बरेठा तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल निवास सरकारी क्वार्टर जी–3 चम्बल कॉलोनी माला रोड़ कोटा हाल वनरक्षक प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा
2. श्री जगदीश प्रसाद गोचर पुत्र स्व0 श्री चतुर्भुज जाति गुर्जर उम्र 53 साल निवासी गणेश चौक बपावर कलां जिला कोटा हाल वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 5,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2023 को परिवादी श्री देवकीनन्दन पुत्र श्री भोजराज जाति कलाल उम्र 24 वर्ष निवासी डाबरी कलां तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित

प्रार्थना पत्र पेश किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवकीनन्दन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके पिता श्री भोजराज जी के नाम से स्वराज 735 नीले रंग का ट्रेक्टर है जिसको हम खेतीबाडी व घरेलू कार्यो में उपयोग में लेते हैं। उसके गांव के गोविन्द जी (गोमटा जी) नायक का परवन नदी के पास वाला खेत जोत रखा है इसलिए खेती करने के लिए वह ट्रेक्टर को परवन नदी वाले रास्ते पर ले जाता रहता है। वह जब भी ट्रेक्टर लेकर खेत पर जाने के लिए बपावर वन नाका से निकलता है, तो बपावर वन नाका पर तैनात नाकादार श्री बाबूलाल गुर्जर परेशान करता है तथा ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज करने व भारी जुर्माना करने की धमकी देता है। इस पर उसने नाकादार साहब से हाथजोड़ी कर कहा कि साहब मैं कोई अवैध खनन या गलत काम तो करता नही हूं फिर भी आप मुझे क्यों बार–बार परेशान करते रहते हो। इस पर नाकादार श्री बाबूलाल गुर्जर ने उससे कहा कि तू मुझे 6000 रुपये मासिक बंधी देना शुरू कर दे नहीं तो इधर ट्रेक्टर लेकर दिख मत जाना नहीं तो ट्रेक्टर सहित तेरे को भी बंद कर दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए नाकादार श्री बाबूलाल गुर्जर वन नाका बपावर को 6000 रुपये मासिक बंधी के रूप में नही देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नही हैं तथा पुराना उधारी का लेनदेन भी बकाया नहीं हैं। परिवादी श्री देवकीनन्दन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 11:30 एएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री देवकीनन्दन को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार वन नाका बपावर जिला कोटा के बारे में बपावर होने की जानकारी करने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री चन्द्रेश गोयल नं0 279 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री देवकीनन्दन के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से बपावर के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07:30 पीएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन के साथ आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार वन नाका बपावर जिला कोटा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कराने हेतु निगरानी के लिये बपावर भेजा गया श्री चन्द्रेश गोयल कॉनि0 279 अकेला ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पूछने पर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री देवकीनन्दन के साथ अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बपावर वन नाका के नजदीक पहुंचे। मैंने परिवादी श्री देवकीनन्दन को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार वन नाका बपावर जिला कोटा के पास बपावर स्थित वन नाका भवन में रिश्वत मांग वार्तालाप करने के लिये रवाना कर दिया था तत्पश्चात् मैंने अपनी मोटर साईकिल को साईड में खड़ा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मैं दूर से परिवादी को वन नाका भवन में प्रवेश होते हुए देख रहा था तभी परिवादी व दो–तीन व्यक्ति वन नाका परिसर में बाहर आकर वार्तालाप कर रहे थे जिनको मैं दूर से देख रहा था। लगभग पौन घण्टे के पश्चात् परिवादी श्री देवकीनन्दन उसी जगह अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर उसने बताया कि मुझे श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार वन नाका बपावर कार्यालय में ही मिल गये थे। मैं अवैध खनन् के कार्य में लिप्त नहीं हूँ फिर भी उन्होने मुझसे हमारे जौते हुए खेत जो परवन नदी के पास है जिसमें ट्रेक्टर लाने ले जाने लिए 6000रूपये महिने के देने की मांग की जिस पर मेरे हाथाजोड़ी करने पर 5000रूपये मासिक बंधी लेने के लिए तैयार हो गये है तथा रिश्वत राशि श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार जी ने श्री जगदीश गार्ड को देने के लिए कहा है। वार्तालाप के दौरान मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। हमारे बीच जो भी वार्तायें हुई थी वह इसमें रिकॉर्ड हो गयी है। परिवादी श्री देवकीनन्दन ने मुझसे कहा कि मुझे वापिस आपके साथ झालावाड़ चलकर पुनः अपने गांव लौटने में रात्रि का समय हो जावेगा तथा मुझे रिश्वत राशि के पांच हजार रूपयों की व्यवस्था भी करनी है। अतः मैं बुधवार दिनांक 15.02.2023 को सुबह 08.00 बजें करीब एसीबी चौकी झालावाड़ पर रिश्वत राशि के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर परिवादी श्री देवकीनन्दन को मैंने बपावर से ही अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण रूपसे गोपनीयता बरतने व अन्य आवश्यक हिदायत देकर उसके गांव के लिये रूखसत करने के पश्चात् मैं अपनी मोटर साईकिल से वापिस ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ उपस्थित आया हूँ। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। श्री चन्द्रेश गोयल कॉनि0 को पुनः डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना रखने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 14.02.2023 को समय 11:00 एएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलवाया तथा परिवादी श्री देवकीनन्दन पुत्र श्री भोजराज जाति कलाल उम्र 24 वर्ष निवासी डाबरी कलां तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0) द्वारा मेरे समक्ष दिनांक 13.02.2023 को पेश किये गये रिश्वत मांग का प्रार्थना पत्र पर अंकन कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी देवकीनन्दन व श्री चन्द्रेश गोयल

को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर बपावर भिजवाकर दिनांक 13.02.2023 को ही रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा लिया गया है। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मालखाने में सुरक्षित रखवाया हुआ है। परिवादी श्री देवकीनन्दन ने दिनांक 15.02.2023 को समय 08.00 एएम पर रिश्वत राशि 5000/–रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने के लिये कहा है। अतः उक्त मामले में परिवादी देवकीनन्दन से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवकीनन्दन द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2023 को आपने साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चुंकि उक्त मामले में दिनांक 13.02.2023 को श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा लिया गया है और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मालखाने में सुरक्षित रखा होना बताया है। चूंकि दिनांक 15.02.2023 को परिवादी श्री देवकीनन्दन के कार्यालय में उपस्थित होने पर ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना होने से समय 11:40 एएम पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु उप निदेशक कृषि (शस्य) जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र झालरापाटन जिला झालावाड़ के नाम पत्रांक एसपीएल–01 दिनांक 14.02.2023 जारी कर श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 को देकर कल दिनांक 15.02.2023 को प्रातः 09:00 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। समय 12:30 पीएम पर श्री हर्ष कुमार कॉनि0 नं0 234 गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य) जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र झालरापाटन जिला झालावाड़ से दो स्वतंत्र गवाह को दिनांक 15.02.2023 समय 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर कार्यालय वापस आया। दिनांक 15.02.2023 को समय 08:50 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ पुत्र श्री मोतीलाल नागर जाति धाकड़ उम्र 33 साल निवासी ग्राम अचरावा पोस्ट कटावर तहसील अटरू जिला बारां हाल कृषि अनुसंधान अधिकारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य) जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र झालरापाटन जिला झालावाड़ व श्री पुष्पेन्द्र खींची पुत्र श्री लालचन्द खीची जाति जीनगर उम्र 31 साल निवासी सूरज सदन शिव कॉलोनी गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल कृषि अनुसंधान अधिकारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य) जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र झालरापाटन जिला झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। समय 09:00 एएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 5000रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड आज वन नाका बपावर में ही रहेगे तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ कृषि अनुसंधान अधिकारी व श्री पुष्पेन्द्र खींची कृषि अनुसंधान अधिकारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य) जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र झालरापाटन जिला झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री देवकीनन्दन का दिनांक 13.02.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 09:10 एएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन व दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ कृषि अनुसंधान अधिकारी व श्री पुष्पेन्द्र खींची कृषि अनुसंधान अधिकारी की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुए डिजिल वाईस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी द्वारा पूर्व में वार्ता रिकॉर्ड की गयी थी को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 13.02.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 13.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री देवकीनन्दन के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री देवकीनन्दन ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार, तीसरी श्री सत्तू गार्ड व चौथी आवाज श्री जगदीश गार्ड की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:50 एएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन ने दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ कृषि अनुसंधान अधिकारी व श्री पुष्पेन्द्र खींची कृषि अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अपने पास से 5000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 10 नोट भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त

कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 5000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ से परिवादी श्री देवकीनन्दन की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री देवकीनन्दन की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार वन नाका बपावर जिला कोटा के बताये अनुसार श्री जगदीश गार्ड द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात वह रिश्वत राशि को कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री देवदान सिंह कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री देवदान सिंह कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ व श्री पुष्पेन्द्र खींची एवं परिवादी श्री देवकीनन्दन को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री देवदान सिंह कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री देवदान सिंह कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री देवकीनन्दन को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 11:30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ व श्री पुष्पेन्द्र खींची तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब बपावर की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री देवकीनन्दन को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 12:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से बपावर वन नाका से कुछ दूरी पर हाईवे पर साईड में रूका परिवादी श्री देवकीनन्दन अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार वन नाका बपावर के बताये अनुसार श्री जगदीश गार्ड को रिश्वत राशि देने व उससे पूर्व उसके पास रखी सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने की पुनः समझाईश कर श्री जगदीश गार्ड के पास वन नाका बपावर के लिए रवाना कर उसके पीछे–पीछे श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया। सरकारी वाहन को वहीं साईड में खड़ा करवाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व अन्य जाब्ते के प्राईवेट वाहन से वन नाका बपावर के नजदीक पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहन में ही मुकीम रहा। समय 01:00 पीएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन बिना कोई ईशारा किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं वन

नाका बपावर में गया तो श्री बाबूलाल नाकादार व श्री जगदीश गार्ड दोनों ही वहां उपस्थित नहीं मिले। मैंने स्टाफ के अन्य कर्मचारियों से इस बाबत् जानकारी की तो उन्होने बताया कि श्री बाबूलाल नाकादार कनवास गये हुए है व श्री जगदीश गार्ड का भी बाहर होना बताया। इस पर परिवादी को अपनी मोटर साईकिल से पीछे–पीछे आने की कहकर हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व सरकारी गवाहान के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर सरकारी वाहन खड़े स्थान पर पहुंचा तथा वहां से सभी को साथ लेकर गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड के वन नाका बपावर में आने की प्रतीक्षा में मुकीम रहा। समय 05:00 पीएम पर गोपनीय स्थान से परिवादी श्री देवकीनन्दन को पुनः समझाईश कर उसकी मोटर साईकिल से आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार के बताये अनुसार श्री जगदीश गार्ड को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व जाब्ते के सरकारी व प्राईवेट वाहन से वन नाका बपावर के नजदीक पहुंचा तथा प्राईवेट वाहन से श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को उतार कर परिवादी श्री देवकीनन्दन के ईशारे व निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक व अन्य जाब्ते को भी वाहनों से उतरवाकर वन नाका बपावर के आस पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। समय 07:00 पीएम पर काफी समय पश्चात् परिवादी श्री देवकीनन्दन बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैंने वन नाका बपावर में जाकर श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड की तलाश की लेकिन वहां पर मौजूद नहीं मिले इस पर वन नाका में ही रूककर उनके आने का इंतजार करता रहा लेकिन वो अभी तक भी वन नाका में नहीं आये है। अन्य कर्मचारीयों से जानकारी करने पर किसी से कोई सही जानकारी नहीं हो सकी। उस समय रात्रि का समय होने से तथा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवकीनन्दन से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से एक सफेद लिफाफा निकलवाया व परिवादी के पास रखी ट्रेप राशि 5000रूपये को परिवादी से ही लिफाफे में रखवाकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 को लिफाफा सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा परिवादी श्री देवकीनन्दन को समझाईश की गयी कि वह आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड की जानकारी करवाकर उनके बपावर वन नाका में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल सुचित करें तथा परिवादी को अब तक की गयी कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईश कर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के साथ लाये वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 08:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के अपने–अपने वाहन सरकारी/प्राईवेट से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि सहित ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर तथा मोबाईल पर सूचना देने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 22.02.2023 को समय 10:00 एएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन ने श्री देवदान सिंह कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड अपने कार्यालय वन नाका बपावर पर आ गये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल सूचित करवाकर कार्यालय में तुरन्त उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। समय 11.00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ व श्री पुष्पेन्द्र खींची ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पुनः समझाईश की गयी। समय 11:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर इत्यादी सरकारी वाहन में रखवाये तथा मय स्वतंत्र गवाहान डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ व श्री पुष्पेन्द्र खींची तथा ब्यूरो स्टाफ श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279, श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से बजानिब बपावर की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 12:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से वन नाका बपावर के नजदीक बाईपास रोड़ के साईड में रूका जहां परिवादी श्री देवकीनन्दन अपनी मोटरसाईकिल से इंतजार करता हुआ मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी हुई रिश्वत राशि 5000रूपये का लिफाफा जरिये श्री देवदान सिंह कानि0 से निकलवाया जाकर लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 5000रूपये निकलवाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी साईड की सामने वाली जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को पुनः समझाईस कर रिश्वत लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार के बताये अनुसार श्री जगदीश गार्ड को रिश्वत राशि देने हेतु वन नाका बपावर के लिए रवाना किया गया। श्री देवदान सिंह कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाकर श्री देवदान सिंह कानि0 को सरकारी वाहन में छोड़कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते के प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे–पीछे वन नाका बपावर के नजदीक पहुंचा। ब्यूरो जाब्ते में से श्री

चन्द्रेश गोयल कानि0 279 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को प्राईवेट वाहन से उतार कर परिवादी के ईशारे व निगरानी हेतु अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के कार्यालय के पास मुकीम रहने के निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान व अन्य ब्यूरो स्टाफ के प्राईवेट वाहन में मुकीम रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। समय 01:20 पीएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन बिना कोई ईशारा किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं वन नाका बपावर में गया तो वहां पर कार्यालय में कोई नहीं था। इंतजार करने पर अभी तक भी वहां कोई कर्मचारी नहीं आया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री देवकीनन्दन को कार्यालय की तरफ जाने वाले आम रास्ते पर स्थित चाय दुकान व आस–पास की दुकानों पर उपस्थित रहकर वन कर्मचारियों के आने–जाने की निगरानी करने व आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड के कार्यालय में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने के निर्देश दिये गये तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों सरकारी गवाहान व ब्यूरो जाब्ता भी वही आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड के वन नाका बपावर में आने की प्रतीक्षा में मुकीम रहे। समय 04:20 पीएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि बपावर वन नाका की तरफ कुछ वनकर्मी गये है उनमें श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड नहीं थे। मैं वही पास स्थित दुकान पर बैठकर उनकी निगरानी कर रहा था। इस पर काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड नहीं आये है। ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवकीनन्दन से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से एक सफेद लिफाफा निकलवाया व परिवादी के पास रखी ट्रेप राशि 5000रूपये को परिवादी से ही लिफाफे में रखवाकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 से ही लिफाफा को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा परिवादी श्री देवकीनन्दन को समझाईश की गयी कि वह आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड की जानकारी करवाकर उनके बपावर वन नाका में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल सुचित करें तथा परिवादी को अब तक की गयी कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईश कर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर प्राईवेट वाहन से बाईपास रोड़ पर सरकारी वाहन के पास पहुंचा तथा सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 05:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के अपने–अपने वाहन सरकारी/प्राईवेट से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि सहित ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर तथा मोबाईल पर सूचना देने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.03.2023 समय 09:00 एएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन ने श्री देवदान सिंह कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड अपने कार्यालय वन नाका बपावर पर आ गये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पेन्द्र खींची व डॉ0 उमेश कुमार धाकड़ को जरिये मोबाईल सूचित किया तो उन्होने बताया कि आज हम विभागीय सरकारी टेंडर प्रक्रिया में व्यस्त है तथा उक्त प्रक्रिया में हमारा रहना अति आवश्यक है। इस सम्बंध में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उप निदेशक कृषि (शस्य) जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र झालरापाटन, झालावाड़ से जरिये मोबाईल वार्ता की गयी तो उन्होने भी उक्त दोनों कर्मचारीयों का विभागीय सरकारी टेंडर प्रक्रिया में व्यस्त होने के कारण आज एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के कार्यालय में दो स्वतंत्र गवाहान गोपनीय कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 11.00 एएम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ से पत्रांक 25 दिनांक 03.03.2023 लेकर दो सरकारी गवाह श्री जुबेर खान पुत्र श्री अब्दुल कय्यूम जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मकान नम्बर 14 हासिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झालावाड़ मो0नं0 8107757582 व श्री कुलदीप सेन पुत्र श्री खेमराज सेन जाति सेन उम्र 34 साल निवासी शुभम होमस् कॉलोनी राधा रमण मैरिज गार्डन के सामने झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ मो0नं0 9116805932 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे अब तक हुई कार्यवाही व की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया गया तथा बताया गया कि परिवादी श्री देवकीनन्दन आज बपावर में मिलेगा। दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में साथ रहने की सहमती चाही गयी तो उन्होने मौखिक रूप से कार्यवाही में साथ रहने की सहमति दी। समय 11:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि का लिफाफा, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर इत्यादी सरकारी वाहन में रखवाये तथा मय स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री कुलदीप सेन तथा ब्यूरो स्टाफ श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279, श्री देवदान सिंह कानि0 नं0

425, श्री शिवराज कानि0 नं. 166 के मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से बजानिब बपावर की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 12:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से वन नाका बपावर के नजदीक बाईपास रोड़ के साईड में गोपनीय स्थान पर रूका जहां परिवादी श्री देवकीनन्दन अपनी मोटरसाईकिल से इंतजार करता हुआ मिला। दोनों सरकारी गवाहान श्री जुबेर खान व श्री कुलदीप सेन परिवादी श्री देवकीनन्दन का परिचय कराया गया तथा पूर्व में दिनांक 13.02.2023 को परिवादी द्वारा कार्यालय में पेश रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् प्रार्थना पत्र पढ़वाया गया तथा प्रार्थना पत्र पढ़कर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी हुई रिश्वत राशि 5000रूपये का लिफाफा जरिये श्री देवदान सिंह कानि0 से निकलवाया जाकर लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 5000रूपये निकलवाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी साईड की सामने वाली जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को पुनः समझाईस कर रिश्वत लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार के बताये अनुसार श्री जगदीश गार्ड को रिश्वत राशि देने हेतु वन नाका बपावर के लिए रवाना किया गया। श्री देवदान सिंह कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते के सरकारी/प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे–पीछे वन नाका बपावर के नजदीक पहुंचा। परिवादी अपनी मोटर साईकिल से कार्यालय वनपाल नाका बपावर कलां में प्रवेश हुआ तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय सरकारी गवाहान व जाब्ते के प्राईवेट वाहन में बस स्टेण्ड की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर वन नाके के मुख्य द्वार के पास मुकीम रहा तथा सरकारी वाहन को मय ब्यूरो स्टाफ के हाईवे की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर वन नाके के मुख्य द्वारा की दूसरी साईड पर खड़ा करवाकर अपने–अपने वाहनों में मुकीम रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। समय 01:53 पीएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन द्वारा कार्यालय वनपाल नाका बपावर कलां की बाउंड्री के गेट से बाहर आकर बस स्टेण्ड बपावर कलां की और जाने वाले कच्चे रास्ते पर खड़े प्राईवेट वाहन को देखकर मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने भी तत्काल मेरे पीछे–पीछे बाउड्री के बाहर खड़े हाईवे की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर सरकारी वाहन को नजदीक आने का ईशारा कर अपना सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन रोककर मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर तत्काल हमराह लेकर परिवादी श्री देवकीनन्दन के पास पहुँचा तथा परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेन–देन के दौरान आरोपीगण से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे मे लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री देवकीनन्दन से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे मे पूछा गया तो परिवादी ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि, श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार व श्री जगदीश गार्ड दोनों द्वारा मुझसे हमारा ट्रेक्टर चलने देने की एवज में मासिक बंधी की मांग कर व अगले महिने की मासिक बंधी के सम्बंध में वार्ता करने के पश्चात् श्री जगदीश गार्ड ने मुझे कार्यालय की साईड में बने बरामदे की और ले जाकर वहां पर रखी हुई कुर्सी पर रिश्वत राशि रखने का ईशारा कर कुर्सी पर रिश्वत राशि रखवायी है। श्री जगदीश गार्ड के कहे अनुसार मैंने रिश्वत राशि कुर्सी पर रख दी है। उसके बाद मैंने कार्यालय की बाउंड्री के मैन गेट के बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया था। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री देवकीनन्दन को साथ लेकर उसके पीछे–पीछे कार्यालय वनपाल नाका बपावर कलां की बाउन्ड्री पर बने गेट में प्रवेश किया जिस पर परिवादी ने अन्दर सामने की तरफ बने हुए कमरे जिसके गेट पर कार्यालय वनपाल लिखा हुआ है कि और ईशारा कर बताया कि दोनों आरोपीगण सामने वाले कमरे के अन्दर ही बैठे हुए है। इस पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को साथ लेकर कमरे में प्रवेश किया तो वहां पर रखे हुए दो लकड़ी के पलंग पर दो व्यक्ति कमरे के अन्दर बैठे हुए मिले। जिनमें से एक व्यक्ति जो ब्लेक डोट वाली सफेद शर्ट व आर्मी कलर का ट्राउजर पहने हुए था उसकी और ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार जी है तथा एक अन्य व्यक्ति जिसने हल्के ग्रीन कलर की चौकड़ी शर्ट व हल्के काले रंग की पेन्ट पहन रखी थी कि और ईशारा कर बताया कि यह श्री जगदीश गार्ड है। इन दोनों ने अभी–अभी मुझसे हमारे ट्रेक्टर को चलने देने एवं अवैध खनन का मुकदमा नहीं बनाने की एवज में मासिक बंधी की मांग कर व अगले महिने की मासिक बंधी के सम्बंध में वार्ता करने के पश्चात् श्री जगदीश गार्ड ने मुझे कार्यालय की साईड में बने बरामदे की और ले जाकर वहां पर रखी हुई कुर्सी पर रिश्वत राशि रखने का ईशारा कर कुर्सी पर रिश्वत राशि रखवायी है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय उक्त दोनों व्यक्तियों को देकर तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो उक्त दोनों व्यक्ति घबराकर पलंग से खड़े हो गये। तसल्ली देकर पुनः उक्त दोनों व्यक्तियों को बैठाया जाकर एवं तसल्ली देकर उनसे नाम पता पूछा तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री नेमीचन्द जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी ग्राम बन्ध बरेठा तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल निवास सरकारी क्वार्टर जी–3 चम्बल कॉलोनी माला रोड़ कोटा हाल वनरक्षक प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जगदीश प्रसाद गोचर

पुत्र स्व0 श्री चतुर्भुज जाति गुर्जर उम्र 53 साल निवासी गणेश चौक बपावर कलां जिला कोटा हाल वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा (राज0) होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री देवकीनन्दन से मासिक बंधी के रूप में ली गयी 5000रूपये की रिश्वत राशि बाबत् आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) से पूछा गया कि अभी–अभी आप द्वारा परिवादी श्री देवकीनन्दन से 5,000रूपये की रिश्वत राशि आपने क्यों व किस उद्देश्य के लिए ली है। इस पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर ने कहा कि मेरे द्वारा श्री देवकीनन्दन से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की गयी है। श्री देवकीनन्दन कुछ दिन पहले भी नाके पर आया था, जब मैंने व श्री बाबूलाल गुर्जर नाकेदार जी ने इससे बात की थी और इसको ट्रेक्टर के ड्राईवर का लाईसेंस लाने हेतु कहा था। आज थोड़ी देर पहले भी श्री देवकीनन्दन नाके पर आया था। यह मुझे बुलाकर साईड वाले बरामदे की तरफ ले गया था वहां पर मुझे पैसे देने लगा तो मैंने उससे पैसे नहीं लिये। उसने पैसे वहां पर रखी कुर्सी पर रख दिये थे। मैंने श्री देवकीनन्दन से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर परिवादी श्री देवकीनन्दन ने आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री जगदीश जी गार्ड झूठ बोल रहे है। दिनांक 13.02.2023 को भी मैं श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार जी व श्री जगदीश जी गार्ड से इसी कार्यालय में मिला था जब इनके द्वारा मुझसे मेरे ट्रेक्टर को चलाने देने व ट्रेक्टर को जब्त नहीं करने तथा मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में 6,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की गयी थी। मेरे बार–बार निवेदन करने पर यह दोनों 5,000रूपये मासिक बंधी लेने हेतु तैयार हुए थे। उस दिन वार्ता के दौरान ही श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार जी ने रिश्वत राशि श्री जगदीश जी गार्ड को देने हेतु कहा था। हमारे बीच उस दिन जो भी वार्ता हुई थी उस वार्ता को मैंने आपके कार्यालय से दिये हुए वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। दिनांक 13.02.2023 को इन दोनों के द्वारा की गयी रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण में ही आज अभी–अभी श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार जी व श्री जगदीश जी गार्ड दोनों द्वारा मुझसे मेरा ट्रेक्टर चलने देने एवं ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मासिक बंधी की मांग कर व अगले महिने की मासिक बंधी के सम्बंध में वार्ता करने के पश्चात् श्री जगदीश गार्ड मुझे कार्यालय की साईड में बने बरामदे की ओर ले गया तथा इनकी मांग एवं इनसे हुई पूर्व वार्ता के अनुसार जब मैं रिश्वत राशि के 5000रूपये जगदीश जी को देने लगा व राशि को गिनने के लिए कहा तो जगदीश जी ने कहा कि मैं पैसे हाथ में नहीं लूंगा, तू ही गिनकर बता दे। इसके बाद मेरे द्वारा रिश्वत राशि के पैसे गिनवाने के बाद जगदीश जी ने वहां बरामदे में रखी कुर्सी की ओर ईशारा कर रिश्वत राशि के 5,000रूपये कुर्सी पर रखवाये थे। श्री जगदीश गार्ड द्वारा किये गये ईशारे के अनुसार मैंने रिश्वत राशि कुर्सी पर रख दी थी। उसके बाद मैंने कार्यालय की बाउंड्री के मैन गेट के बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया था। इसके पश्चात् श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक नाकाप्रभारी से परिवादी श्री देवकीनन्दन से रिश्वत राशि की मांग करने, परिवादी को रिश्वत राशि श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) को देने हेतु कहने एवं अभी–अभी परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत् पूछा गया तो आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक नाकाप्रभारी ने बताया कि मैंने श्री देवकीनन्दन से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है और ना ही प्राप्त की है। दिनांक 13.02.2023 को श्री देवकीनन्दन हमारे कार्यालय में आया था उस दिन इससे मेरी व श्री जगदीश वृक्ष पालक की बात हुई थी। मैंने इसको केवल ट्रेक्टर के ड्राईवर का लाईसेंस लाने के लिए कहा था। उस दिन मैंने इससे कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की थी और ना ही आज रिश्वत राशि प्राप्त की है। अभी कुछ समय पूर्व देवकीनन्दन हमारे कार्यालय में आया था जिससे मेरी व जगदीश प्रसाद गोचर दोनों की बात हुई थी। देवकीनन्दन से बात करने के बाद मैं अपने कार्यालय कक्ष में अन्दर आ गया था तथा श्री जगदीश प्रसाद गोचर श्री देवकीनन्दन से बाहर ही बातें कर रहा था। कुछ समय बाद श्री जगदीश प्रसाद भी मेरे पास अन्दर कार्यालय कक्ष में आ गया था। यदि श्री जगदीश प्रसाद ने श्री देवकीनन्दन से कोई रिश्वत राशि प्राप्त की हो तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस पर परिवादी ने आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री बाबूलाल गुर्जर नाकादार जी झूठ बोल रहे है। दिनांक 13.02.2023 को भी मैं इनसे व श्री जगदीश जी गार्ड से इसी कार्यालय में मिला था जब इनके द्वारा मुझसे मेरे ट्रेक्टर को चलाने देने व ट्रेक्टर को जब्त नहीं करने तथा मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में 6,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की गयी थी। मेरे बार–बार निवेदन करने पर यह दोनों 5,000रूपये मासिक बंधी लेने हेतु तैयार हुए थे। उस दिन वार्ता के दौरान ही इन्होने रिश्वत राशि जगदीश जी गार्ड को देने हेतु कहा था। हमारे बीच उस दिन जो भी वार्ता हुई थी उस वार्ता को मैंने आपके कार्यालय से दिये हुए वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। दिनांक 13.02.2023 को इन दोनों के द्वारा की गयी रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण में ही आज अभी–अभी इनके व श्री जगदीश जी गार्ड द्वारा मुझसे मेरा ट्रेक्टर चलने देने एवं ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मासिक बंधी की मांग कर व अगले महिने की मासिक बंधी के सम्बंध में वार्ता की थी। थोड़ी देर बात करने के बाद नाकेदार जी अन्दर कमरे में चले गये और उसके पश्चात् श्री जगदीश गार्ड मुझे कार्यालय की साईड में बने बरामदे की ओर ले गया तथा इनकी मांग एवं इनसे हुई पूर्व वार्ता के अनुसार जब मैं रिश्वत राशि के 5000रूपये जगदीश जी को देने लगा व उनसे राशि को गिनने के लिए कहा तो जगदीश जी ने कहा कि मैं पैसे हाथ में नहीं लूंगा, तू ही गिनकर बता दे। इसके बाद मेरे द्वारा रिश्वत राशि के पैसे गिनवाने के बाद

जगदीश जी ने वहां बरामदे में रखी कुर्सी की और ईशारा कर रिश्वत राशि के 5,000रूपये कुर्सी पर रखवाये थे। श्री जगदीश गार्ड द्वारा किये गये ईशारे के अनुसार मैंने रिश्वत राशि कुर्सी पर रख दी थी। इसके पश्चात् आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर से परिवादी श्री देवकीनन्दन से प्राप्त की गयी, रिश्वत राशि 5000रूपये के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि श्री देवकीनन्दन वह 5,000रूपये वहां बरामदे में रखी कुर्सी पर रखकर चला गया था जो वहीं कुर्सी पर रखे हुए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री देवकीनन्दन, आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 व श्री पवन कुमार कानि0 के साथ कार्यालय कक्ष के बाहर निकलकर कार्यालय में बने बरामदे में पहुचां। जहां पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर ने बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर रखे हुए 500–500रूपये के नोटो की थेई की और ईशारा कर बताया कि यह वहीं राशि है जो श्री देवकीनन्दन अभी–अभी यहां पर रखकर गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री जुबेर खान कनिष्ठ सहायक को कुर्सी पर रखी रिश्वत राशि उठाने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा कुर्सी पर से रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई उठाकर उन नोटों की गिनती करने पर 500–500रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सेन को पूर्व में कार्यालय में तैयार की गयी फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट देकर उक्त बरामद नोटों का मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों स्वतंत्र गवाहों ने फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु फर्द में अंकित वही नोट होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0EU 576516
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6GA 642935
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6BV 983623
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KP 777866
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1TT 706660
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3CQ 259974
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9TT 849064
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4VU 121485
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3ES 149428
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9NC 161908

उक्त बरामद नोटों को एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि उक्त दोनों आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में ग्रहण नहीं की गयी है। इसलिए दोनों आरोपीगण के हाथों के धोवन की कार्यवाही नहीं की गयी। रिश्वत राशि परिवादी से कार्यालय के बरामदे में रखी हुई लोहे की पाईप की कुर्सी जिस पर लकड़ी की प्लाई लगी हुए है, पर रखवायी गयी है। अतः उक्त कुर्सी में लगी हुई लकड़ी की प्लाई पर से रिश्वत राशि बरामदगी के स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा एक साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर एक कपड़े की चिन्दी को घोल में डूबोकर कुर्सी का वह स्थान जहां पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर के द्वारा परिवादी को ईशारा कर रिश्वत राशि रखवायी गयी थी उस स्थान को सोडियम कार्बोनेट के घोल में भीगी हुई कपड़े की चिन्दी से कुर्सी पर बैठने वाले स्थान को रगड़ कर उस चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का सी–1, सी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। चूंकि परिवादी श्री देवकीनन्दन से उसके ट्रेक्टर को चलने देने एवं फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करने व ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में उक्त दोनों आरोपीगण द्वारा परिवादी से 5,000रूपये मासिक बंधी के रूप में मांग कर मांग के अनुसरण में 5,000रूपये की रिश्वत राशि मासिक बंधी के रूप में प्राप्त की गयी है। समय 04:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवकीनन्दन के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:25 पीएम पर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर, वनरक्षक प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री जुबेर खान व श्री कुलदीप सेन के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर उसकी आवाज का एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:40 पीएम पर आरोपी श्री

जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री जुबेर खान व श्री कुलदीप सेन के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर उसकी आवाज का एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06:10 पीएम पर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर, वनरक्षक प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा के कार्यालय व निवास की खाना तलाशी नियमानुसार ली जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 06:50 पीएम पर परिवादी श्री देवकीनन्दन व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जुबेर खान व श्री कुलदीप सेन की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप दिनांक 03.03.2023 जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री देवकीनन्दन को लेपटोप के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री देवकीनन्दन ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर व तीसरी आवाज श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) की होना बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू लेपटोप पर टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:45 पीएम पर दिनांक 13.02.2023 को परिवादी श्री देवकीनन्दन एवं आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक व श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) के मध्य आपस में रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.02.2023 को समय 09.10 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 03.03.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री देवकीनन्दन एवं आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक व श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 03.03.2023 को समय 06.50 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक के लिये, आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर चार सीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 09:20 पीएम पर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर, वनरक्षक प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके स्टाफ के कर्मचारी श्री बालकिशन जोशी हाल एमआर श्रमिक को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 09:45 पीएम पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर, वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके स्टाफ के कर्मचारी श्री बालकिशन जोशी हाल एमआर श्रमिक को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 10:30 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् घटनास्थल से परिवादी श्री देवकीनन्दन को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक व श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 5,000रूपये के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 11:30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 13.02.2023 को परिवादी श्री देवकीनन्दन निवासी डाबरी कलां तहसील सांगोद जिला कोटा ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उसके पिता श्री भोजराज जी के नाम से स्वराज 735 नीले रंग का ट्रेक्टर है जिसको हम खेतीबाडी व घरेलू कार्यो में उपयोग में लेते हैं। परिवादी ने उसके गांव के ही गोविन्द जी नायक का परवन नदी के पास वाला खेत जोत रखा है इसलिए खेती करने के लिए वह ट्रेक्टर को परवन नदी वाले रास्ते पर ले जाता रहता है। वह जब भी ट्रेक्टर लेकर खेत पर जाने के लिए बपावर वन नाका से निकलता है और परवन नदी के रास्ते पर जाता है तो तो बपावर वन नाका पर तैनात नाकादार श्री

बाबूलाल गुर्जर परेशान करता है तथा ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज करने व भारी जुर्माना करने की धमकी देता है। इस पर परिवादी ने नाकादार श्री बाबूलाल गुर्जर से हाथजोड़ी कर कहा कि साहब मैं कोई अवैध खनन या गलत काम तो करता नही हूं फिर भी आप मुझे क्यों बार–बार परेशान करते रहते हो। इस पर नाकादार श्री बाबूलाल गुर्जर ने परिवादी से कहा कि तू मुझे 6000 रुपये मासिक बंधी देना शुरू कर दे नहीं तो इधर ट्रेक्टर लेकर दिख मत जाना नहीं तो ट्रेक्टर सहित तेरे को भी बंद कर दूंगा। परिवादी श्री देवीकनन्दन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी दिन दिनांक 13.02.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन में परिवादी श्री देवकीनन्दन की आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक व श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक से वार्ता हुई। सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर द्वारा परिवादी श्री देवकीनन्दन का ट्रेक्टर चलने देने व कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में 6,000रूपये मासिक बंधी की मांग की गयी। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर 5,000रूपये मासिक बंधी लेने हेतु सहमत हुआ तथा वार्ता के दौरान ही परिवादी से आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर द्वारा कहा गया कि तुम जगदीश से मिल लेना तथा 5,000रूपये जगदीश को ही दे देना। जगदीश को पैसे देने के बाद मुझे यह बताना कि मैंने लाईसेंस जगदीश जी को दे दिया है। वार्ता के दौरान आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर भी उपस्थित था। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर द्वारा परिवादी से 5,000रूपये मासिक बंधी की मांग करने व रिश्वत राशि उसके सहायक कर्मचारी श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक को देने हेतु कहने की पुष्टि हुई। दिनांक 03.03.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपीगण श्री बाबूलाल गुर्जर वनरक्षक व श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक कार्यालय वनपाल नाका बपावर कलां पर ही उपस्थित थे। उक्त दोनों आरोपीगणों से परिवादी श्री देवकीनन्दन की रिश्वत लेनदेन वार्ता हुई जिसमें दोनों आरोपीगण द्वारा परिवादी से उसका ट्रेक्टर चलने देने एवं ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मासिक बंधी की मांग कर व अगले महिने की मासिक बंधी के सम्बंध में वार्ता करने पश्चात् आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक द्वारा परिवादी को कार्यालय में बने बरामदे की और ले जाकर कहा कि मैं पैसे हाथ में नहीं लूंगा, तू ही गिनकर बता दे इसके पश्चात् पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार आरोपी श्री जगदीश द्वारा आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर के लिए परिवादी से मासिक बंधी की रिश्वत राशि 5,000रूपये गिनवाकर बरामदे में रखी कुर्सी की और ईशारा कर रिश्वत राशि के 5,000रूपये कुर्सी पर रखवाकर प्राप्त किये गये। रिश्वत राशि कुर्सी पर से बरामद हुई। कुर्सी के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। दोनों आरोपीगणों को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत रिश्वत लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनायी गयी। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.02.2023, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 03.03.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट, परिवादी श्री देवकीनन्दन से उसके ट्रेक्टर को चलने देने, फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करने व ट्रेक्टर को जब्त कर मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में उक्त दोनों आरोपीगण द्वारा परिवादी से 5,000रूपये मासिक बंधी के रूप में मांग करना व मांग के अनुसरण में आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर के कहे अनुसार आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गोचर द्वारा परिवादी से 5,000रूपये की रिश्वत राशि मासिक बंधी के रूप में प्राप्त करने से दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री नेमीचन्द जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी ग्राम बन्ध बरेठा तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल निवास सरकारी क्वार्टर जी–3 चम्बल कॉलोनी माला रोड़ कोटा हाल वनरक्षक प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा व जगदीश प्रसाद गोचर पुत्र स्व0 श्री चतुर्भुज जाति गुर्जर उम्र 53 साल निवासी गणेश चौक बपावर कलां जिला कोटा हाल वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर कलां रेंज कनवास जिला कोटा के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त दोनों आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(रमेश चन्द आर्य)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेशचन्द्र आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री बाबूलाल गुर्जर, वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड), प्रभार नाकाप्रभारी वनपाल, एवं 2. श्री जगदीश प्रसाद गोचर, वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल, नाका बपावर कलां, रेंज कनवास, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 55/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 438-41 दिनांक 04.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

4.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।